227

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एंव पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(13)ग्रावि / ग्रुप–3 / सा.अंके. / 2009 जयपुर, दिनांक **31 MAR 2009**

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त (राजस्थान)

विषय :– सफलतापूर्वक सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने पर स्वयं सेवकों को मानदेय देने बाबत।

प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्रांक प. 4(13)ग्रावि / ग्रारो / एनआरईजीएस / सा. अंके. / 06–07 दिनांक 28.12.06

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के दिशा–निर्देश 2006 के अध्याय 11 के अनुसार योजना का वित्तीय वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण किया जाना है। सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण मंच का गठन किया जा चुका है। सामाजिक अंकेक्षण में दो सदस्य स्वयं सेवक के रूप में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध सेवा निवृत राज्य कर्मचारी यथा क.लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, लेखाकार, रक्षाकर्मी व शिक्षित स्वयं सेवकों में से लिया जा सकता है।

मंच के दो स्वयं सेवक सदस्यों को सफलतापूर्वक सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने पर प्रति सदस्य रू. 500/– प्रति सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के अधिकतम मानदेय दिया जा सकता है। यह मानदेय वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में दिया जायेगा। मानदेय पर होने वाला व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत अनुमत प्रशासनिक खर्च से पूरित किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर सूचित करने का श्रम करें।

भवदीय,
31/3/09
(राजेन्द्र भाणावत)
निदेशक, ईजीएस

D:\HEMRAJ\HEMRAJ\Social Audit 1\social Audit 1.doc